

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 03 सितम्बर, 2003 / भाद्रपद 13, 1924 (शक)

संख्या: 270

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको सारागमन सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्वश्री चौधरी प्रेम सिंह, जिले सिंह चौहान, अरविन्दर सिंह लवली, भीष्म शर्मा, प्रह्लाद सिंह साहनी, कंवल सिंह यादव, चरण सिंह कण्डेरा, राधे श्याम खन्ना, प्रेम चन्द कौशिक, नरेन्द्र नाथ, योगानन्द शास्त्री, रमेश कुमार, रूप चन्द, श्रीमती ताजदार बाबर एवं श्रीमती दर्शना राम कुमार को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 02/09/2003 को अपराह्न 4.20 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत प्रथम बैरिक पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली के सामने नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनांक 02/09/2003 को अपराह्न 5.00 बजे रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday, 03rd September, 2003/ Bhadrapada 13, 1924(Saka)

No.: 270

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi Dist., New Delhi: -

"I have the honour to inform you that S/Shri Ch. Prem Singh, Jile Singh Chauhan, Arvinder Singh Lovely, Bheeshm Sharma, Pahlad Singh Swahney, Kanwal Singh, Charan Singh Kandra, Radhey Shyam Khanna, Prem Chand Kaushik, Narender Nath, Yoganand Shastri, Ramesh Kumar, Roop Chand, Smt. Tajdar Babar & Smt. Darshana Ram Kumar, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at first barricade in front of PS Parliament Street, New Delhi at 4.20 PM on 02/09/2003.

They alongwith their supporters were released at 5.00 PM on the same day i.e. 02/09/2003."

SIDDHARTH RAO
SECRETARY

समाचार भाग-2